

Order Sheet [Contd]

Case No 171,172/2017 बी.ए

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|--|
| 06-05-17 | <p>आवेदक/आरोपीगण श्यामसिंह एवं अनिल की ओर से श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>पुलिस थाना गोहद से अप0क0 89/17 धारा 379, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>उभय पक्षों के आवेदनपत्रों पर तर्क श्रवण किए गए।</p> <p>आवेदक/आरोपी श्यामसिंह एवं अनिल की ओर से प्रथक प्रथक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 कमशः आवेदन क्रमांक 171/17 बी.ए., 172/17 बी.ए प्रस्तुत किये गए हैं, जो कि थाना गोहद के अप0क0 80/17 से संबंधित है। अतः उक्त दोनों आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।</p> <p>मूल आदेश जमानत आवेदनपत्र क्रमांक 171/17 बी.ए में किया जा रहा है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि जमानत आवेदनपत्र क्रमांक 171/17 के साथ संलग्न की जा रही है।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करना बताते हुए निवेदन है कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अनिल छात्र है एवं उक्त दोनों ही आवेदकगण अभिरक्षा में जिन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया गया तो उनका भविष्य खराब हो जावेगा एवं परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि गांव के सरपंच सब्बीर खों ने चुनावी रंजिश पर से चुनाव लड़ने वाले साथियों के नाम मिथ्या रूप से प्रकरण में लेख कराए हैं, जबकि वह भूसा अन्य स्थान से ला रहे थे।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने फरियादी अमरसिंह के खेतों में से बीस हजार रुपए की कीमत के भूसे चोरी का आरोप है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण से अनुसंधान के दौरान कोई वस्तु जप्त की जानी हो या अनुसंधान में आवश्यकता हो ऐसा नहीं</p> | |

दर्शाया गया है। आवेदक/अनावेदकगण न्यायिक निरोध में है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरोपित कृत्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है।

अतः अपराध के स्वरूप प्रकरण की परिस्थिति एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होते हैं।

अतः आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि उनकी ओर से क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 15000/- 15000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश हो तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ा जावे।

शर्तें—

1. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
 3. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
- आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट गोहद को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।
आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

जिला— भिण्ड म0प्र0